रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092021-229958 CG-DL-E-25092021-229958

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3598]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/ भाद्र 31, 1943

No. 3598]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

का.आ. 3922(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 173 (अ), तारीख 9 जनवरी, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 जनवरी, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था:

और, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पूर्वी तट में काकीनाडा से लगभग पांच किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के गोदावरी नदी के मुहाने के क्षेत्र में स्थित है। अभयारण्य उत्तर अक्षांश 16°30'से 17° और पूर्व देशांतर 82°14' से 82°23' के बीच स्थित है। यह क्षेत्र जी. ओ. एमएस. सं. 484 वन और ग्रामीण विकास (फोर. III) विभाग, तारीख 5 जुलाई, 1978 के माध्यम से 1978 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 18 के अधीन "कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य" घोषित किया गया था और पूर्व गोदावरी जिला राजपत्र सं. 8, तारीख 22 अगस्त, 1978 5364 GI/2021

और जी.ओ. एमएस. सं. 45, पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (फोर. III) तारीख 21 अप्रैल, 1998 के माध्यम से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) से 1998 में की धारा 26-ए के अधीन अधिसूचित किया गया था और पूर्व गोदावरी जिला राजपत्र में संदर्भ सं. सी5/मई/126/97 तारीख 16 मई, 1998 में अधिसूचित किया गया था। निम्न तीन रिज़र्व वनों: (i) कोरिंगा रिज़र्व वन; (ii) कोरिंगा एक्सटेंशन रिज़र्व वन; और (iii) भैरवपालेम रिज़र्व वन से युक्त इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 235.70 वर्ग किलोमीटर है;

और, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में काकीनाडा-खाड़ी को छोड़कर, एस्टुरीन दलदली भूमि की विशेषता है। गर्मियों के दौरान अभयारण्य का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में उच्च स्तर के कारण पूरी तरह से जलमग्न नहीं होता है और सूख जाता है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह से दलदली भूमि और निचले स्तर पर हैं, यह पूरे वर्ष भर में जलमग्न हो जाता है। अभयारण्य का पूरा क्षेत्र गोदावरी नदी की एस्टुरीन प्रणाली की मैंग्रोव वनस्पति के साथ घिरा हुआ है, जिसमें कोरिंगा, गादेरू और नील्लारेवु नदियाँ सम्मिलित हैं, जो समुद्र में शामिल होने से पहले गोदावरी नदी की शाखाएँ हैं;

और, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य वनस्पित तामारिक्स ट्रौपी (पिलविल्), जाइलोकार्पुस ग्रेनातम (सेनुगा), हिबिस्कस टिलियाकेउस (अट्टाकानारा), थेस्पेसिया पॉपुल्नेआइड्स (गंगुरावी), डालबेरिगया स्पिनोसा (चिल्लिंगा), केसाल्पिनिया क्रिस्टा (राचिस), डेरिंस ट्राइफोलियाटा (नाल्ला थीगा), सोन्नेराटिया एपेटाला (किलिंगा), अविकेन्निया अल्बा (इलावा माडा), अविकेन्निया मिरिना (टेल्ला माडा), अविकेन्निया ऑफिसिनालिस (नाल्ला माडा), बरूगुइरा सिलिंड्रिका (उरूदु), बरूगुइरा जिम्नोरिंहिजा (कंद्रिगा), केरिओपस डेकांद्रा तोगरा), राइजोफोरा एपिकुलता (पोन्ना), लुम्निटजेरा राकेमोसा विल्ड (थंडुगा), स्किफिफोरा हाइड्रोफयल्लाकेया (नारा थंडुगा), एजिकेरास कोर्निकुलातुम (गुग्गिलाम), सरकोलोबस कैरिनाटस (बालाबोड्डी थीगा), ल्पोमोइया विओलाकेया (टेल्लाटेगा), क्लेरोडेंड्ररूम इनर्में (पिसिंगी), एकेंथुस इलिसिफोलियस (एल्लिची), सुएडा मैरिटिमा (इलाकुरा), एक्सकेकरिअ एगल्लोचा (टिल्ला), मायरिओस्टाचया विघटिअना (ढाब्बा गद्दी), आदि हैं:

और, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य फिशिंग कैट और ऊदबिलाव के लिए एक सुंदर वास भूमि है। डगोंग्स और डॉल्फिन समुद्र के किनारे से अभयारण्य में कभी-कभार आते हैं। क्षेत्र में लोमड़ियों और रीसस बंदरों की महत्वपूर्ण जनसंख्या का भी वास है। होप द्वीप में ओलिव रिडले कछुओं का भी प्रजनन है और इस तरह से अभयारण्य पिछले तीन वर्षों के लिए समुद्री कछुए (ओलिव रिडले) के संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थल प्रदान करता है। अभयारण्य पिश्वयों के लिए महत्वपूर्ण वास भी है और यहाँ पक्षी की 234 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं जिसमें अभयारण्य में ब्लैक-हेडेड गूल (लार्स रिडीबंडस), सामान्य सैंड पाइपर (ट्रिंगा हाइपोलेकस), रेड शंक (ट्रिंगा टोटानस), लिटिल एग्रेट (एग्रेटा गार्जेटा), कैटल एगरेट (बबल्कस इबिस), ग्रे हेरॉन (अर्देया सिनेरिया), इंडियन रीफ हेरोन (एग्रेटा गूलारिस), ओपन बिल स्टॉक (एनास्टोमस ऑसिटिटन्स) पाइड किंगफिशर (सेरेल रिडस) और छोटे नीले किंगफिशर (एलेडो एटिथिस) आदि पाए जाते हैं। इसलिए, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की आवश्यकता है;

और, काकीनाडा शहर की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, काकीनाडा बंदरगाह की वर्तमान क्रियाकलापों और अभयारण्य के आसपास बसने वाले ग्रामीणों के लिए मछली पालन प्राथमिक आजीविका क्रियाकलाप है। यह तय किया गया कि, पूर्वी भाग की ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की चौड़ाई (अर्थात् समुद्री-भाग) 500 मीटर से 5 किलोमीटर वर्तमान बंदरगाह सीमाओं को छोड़कर, उत्तरी सीमा की ओर 50 मीटर, दक्षिण भाग की ओर 11.5 किलोमीटर तक और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा से 50 मीटर की पश्चिमी सीमा (अर्थात् काकीनाडा शहर) की ओर तक सीमित है, वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए जिसमें फिशिंग बिल्ली, ऊदबिलाव और विशेष रूप से ओलिव रिडले कछुए और पक्षियों की विविधता भी सम्मिलित है के लिए घोषित किया जाना है;

और, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के जिला पूर्व गोदावरी में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 11.5 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 11.5 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 177.30 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध- llक** और **उपाबंध- llख** के रूप में संलग्न है।
- (4) कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई ग्राम नहीं है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित करवाएगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचिलक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकिलत करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज:

- 4
- (xi) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचिलक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।
- (9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी. अर्थात:-
- (1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा. जैसे-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

राजपत्र : असाधारण

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथासंशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

- [PART II—SEC. 3(ii)]
- (4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) ध्विनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपिशष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपिशष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

- (13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथासंशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सिम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्ख	नन (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय
	और अपघर्षण इकाइयां ।	निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या
		मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी
		प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर
		उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;
		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में
		टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में

	THE GREET TE OF INDERVIEW [TAKET [TAKET SEC. 5(II)]			
		माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012		
		की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम		
		भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के		
		अनुसरण में प्रचालित होगा।		
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि,	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान		
	आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:		
	स्थापना ।	परंतु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में		
		जारी समय-समय पर यथासंशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों		
		के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट		
		न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों		
		को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी		
		कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।		
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।		
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग	प्रतिषिद्ध।		
	या उत्पादन या प्रसंस्करण।			
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में	प्रतिषिद्ध।		
	अनुपचारित बहिर्म्नाव का निस्सारण ।			
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना		
		और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।		
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।		
··-	•	। नियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की			
•				
	स्थापना ।			
		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या		
		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है,		
		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:		
		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का		
		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के		
	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।		
9.		सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो,		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए,		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की		
9.	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए,		

		क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्घ उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।

	कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्नाव के
	में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण ।	निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के
		पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा
		लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण या प्रवाह
		के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए विस्फोटकों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
	रोपण।	
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
-		

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति - इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, पूर्व गोदावरी जिला, काकीनाडा	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, राजामहेंद्रवरम	सदस्य;
(iii)	पर्यावरणीय अभियंता, काकीनाडा आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iv)	नगर आयुक्त, काकीनाडा	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला गैर- संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	बंदरगाह के निदेशक, काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा	सदस्य;
(ix)	महाप्रबंधक, डीआईसी, काकीनाडा	सदस्य;
(x)	उप निदेशक, मत्स्य पालन, काकीनाडा	सदस्य;
(xi)	जिला पर्यटन अधिकारी, पूर्व गोदावरी जिला, काकीनाडा	सदस्य;
(xii)	संयुक्त निदेशक, कृषि, पूर्व गोदावरी जिला, काकीनाडा	सदस्य;
(xiii)	जिला वन्यजीव वार्डन, पूर्व गोदावरी और जिला वन अधिकारी (टी), काकीनाडा, पूर्व गोदावरी जिला	सदस्य–सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

- 12
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जुन तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/41/2018-ईएसजेड़]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध- । आंध्र प्रदेश राज्य में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

	र राज्य में नेगारेगा यंग्यजाय जमयारंग्य जार इसमा नारास्यासमा समया जाग नेग सामा नेग विवरण
ई1 से ई2	मानचित्र पर चिन्हित निर्देशांक उ 16.90691 और पू 82.24326 के साथ स्टेशन सं (ई1) से आरंभ होती है, रेखा कोरिंगा एक्टेंशन रिज़र्व वन के उत्तर पश्चिम कोण के समानांतर 50 मीटर से आरंभ होती है। इसके बाद सीधी रेखा निर्देशाक उ 16.98556 और पू 82.32604 अर्थात् होपे द्वीप के उत्तरी टीप के साथ (ई2) तक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के समानांतर 50 मीटर उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है।
ई2 से ई3	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.98940 और पू 82.32459 के साथ स्टेशन सं (ई3) तक होपे द्वीप के उत्तरी टीप के ऊपर स्टेशन सं. (ई2) से उत्तर-पूर्वी दिशा 450 मीटर में जाती है।
ई3 से ई4	इसके बाद रेखा तटीय रेखा के समानांतर स्टेशन सं. (ई3) से दक्षिणी दिशा 500 मीटर और निर्देशांक उ 16.93076 और पू 82.36939 के साथ स्टेशन सं. (ई4) तक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के साथ जाती है जहां पोर्ट की सीमा समाप्त होती है।
ई4 से ई5	इसके बाद सीधी रेखा स्टेशन सं (ई4) से पूर्वी दिशा में जाती है और निर्देशांक उ 16.93107 और पू 82.40989 के साथ स्टेशन सं (ई 5) में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के समानांतर जाते हुए 5 किलोमीटर जोन रेखा पहुंचती है।
ई5 से ई6	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.67391 और पू 82.32109 के साथ मसनीटीप्पा आर.एफ. के पूर्वी भाग पर स्टेशन सं. (ई6) तक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के समानांतर 5 किलोमीटर स्टेशन सं. (ई5) से जाती है।
ई6 से ई7	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.61994 और पू 82.29491 के साथ स्टेशन सं. (ई7) तक मसनीथीप्पा आर एफ के कम्पार्टमेंट सं.664 और 665 की पूर्वी सीमा के साथ स्टेशन सं. (ई6) से दक्षिण पश्चिम दिशा जाती है।

ई7 से ई8	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.63860 और पू 82.28510 के साथ स्टेशन सं. (ई8) तक मसनीथीप्पा आर.एफ. के कम्पार्टमेंट सं.665 की पश्चिमी सीमा के साथ स्टेशन सं. (ई7) से उत्तर पश्चिमी दिशा जाती है।
ई8 से ई9	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.63550 और पू 82.27800 के साथ स्टेशन सं (ई9) तक मतलाटीप्पा आर.एफ के कम्पार्टमेंट सं.666 की दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्टेशन सं (ई8) से जाती है।
ई9 से ई10	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.63840 और पू 82.27380 के साथ स्टेशन सं (ई10) तक मत्लातीप्पा आर.एफ के कम्पार्टमेंट सं.666 की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा में स्टेशन सं. (ई9) से जाती है।
ई10 से ई11	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.66480 और पू 82.27680 के साथ स्टेशन सं. (ई11) तक कम्पार्टमेंट सं. 666 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर स्टेशन सं. (ई10) से जाती है।
ई11 से ई12	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.65846 और पू 82.29923 के साथ स्टेशन सं. (ई12) तक कम्पार्टमेंट सं.666 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा की ओर स्टेशन सं. (ई11) से जाती है।
ई12 से ई13	इसके बाद रेखा राठीकल्वा आर एफ में कम्पार्टमेंट सं 670, 667 और 668 की पश्चिमी सीमा के साथ स्टेशन सं (ई12) से जाती है और निर्देशांक उ 16.73181 और पू 82.31439 के साथ स्टेशन सं. (ई13) को छूती है।
ई13 से ई14	इसके बाद रेखा बिंदु तक नीलारावा नदी की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में स्टेशन सं. (ई13) से जाती है जो कि निर्देशांक उ 16.73239 और पू 82.32416 के साथ स्टेशन सं.(ई14) में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के 50 मीटर समानांतर है।
ई14 से ई1	इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 16.90691 और पू 82.24326 के साथ स्टेशन सं. (ई1) तक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा के साथ 50 मीटर समानांतर स्टेशन सं. (ई14) से जाती है जहां आड़े-तिरछे ढंग में समाप्त होती है।


उपाबंध- IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



सारणी क: कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	कोड	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	एस1	16.90682	82.24370
2	एस 2	16.98520	82.32632
3	एस 3	16.77875	82.35087
4	एस 4	16.77860	82.34753
5	एस 5	16.71688	82.34057
6	एस 6	16.71667	82.33368
7	एस 7	16.73192	82.33092
8	एस 8	16.78124	82.30166
9	एस 9	16.80041	82.25656
10	एस 10	16.82341	82.23609

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	कोड	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	ई1	16.90691	82.24326
2	ई2	16.98556	82.32604
3	ई3	16.98940	82.32459
4	ई4	16.93076	82.36939
5	ई5	16.93107	82.40989
6	र् इ6	16.67391	82.32109
7	ई7	16.61994	82.29491
8	र्इ8	16.63860	82.28510
9	ई9	16.63550	82.27800
10	ई10	16.63840	82.27380
11	ई11	16.66480	82.27680
12	ई12	16.65846	82.29923
13	ई13	16.73181	82.31439
14	ई14	16.73239	82.32416

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति:

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

S.O. 3922(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 173(E), dated the 9th January, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th January, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Coringa Wildlife Sanctuary is located in the Godavari river estuarine area of Bay of Bengal about five kilometers from Kakinada in the East coast in East Godavari District of Andhra Pradesh. The Sanctuary lies between 16° 30" to 17° North latitude and 82°14" to 82°23" East longitude. This area was declared as "Coringa Wildlife Sanctuary" under section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in 1978 through G.O. Ms. No. 484 Forests and Rural Development (For. III) Department, dated 5th July, 1978, and was notified in the East Godavari District Gazette No. 8, dated the 22nd August, 1978 and under section 26-A of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) in 1998 through G.O. Ms. No. 45, Environment, Forests, Science and Technology Department (For. III) dated the 21st April, 1998 and was notified in the East Godavari District Gazette *vide* Ref. No. C5/May/126/97 dated the 16th May, 1998. The total area of Sanctuary is comprising of following three Reserved Forests: (i) Coringa Reserved Forests; (ii) Coringa extension Reserved Forests; and (iii) Bhyravapalem Reserve Forest extending over an area of 235.70 square kilometers;

AND WHEREAS, the area of Coringa Wildlife Sanctuary is characterised by estuarine marshy land, except the Kakinada- Bay. During summer the western part of the Sanctuary does not get totally submerged under high tide due to higher level than eastern side. The eastern and northern areas are totally marshy land and low lying, it gets inundated throughout the year. The entire area of Sanctuary is interspersed with mangrove vegetation of the Godavari river estuarine system, consisting of Coringa, Gaderu and Nilarava rivers, which are branches of the river Godavari;

18

AND WHEREAS, the major floras of the Coringa Wildlife Sanctuary are Tamarix troupii (palivelu), Xylocarpus granatum (senuga), Hibiscus tiliaceus (attakanara), Thespesia populneoides (ganguravi), Dalbergia spinosa (chillinga), Caesalpinia crista (rachis), Derris trifoliata (nalla theega), Sonneratia apetala (kalinga), Avicennia alba (elava mada), Avicennia marina (tella mada), Avicennia officinalis (nalla mada), Bruguiera cylindrica (urudu), Bruguiera gymnorrhiza (kandriga), Ceriops decandra (togara), Rhizophora apiculata (ponna), Lumnitzera racemosa Willd (thanduga), Scyphiphora hydrophyllacea (nara thanduga), Aegiceras corniculatum (guggilam), Sarcolobus carinatus (balaboddi theega), Ipomoea violacea (tellateega), Clerodendrum inerme (pisingi), Acanthus ilicifolius (allichi), Suaeda maritima (elakura), Excoecaria agallocha (tilla), Myriostachya wightiana (dhabba gaddi), etc;

AND WHEREAS, Coringa Wildlife Sanctuary is a beautiful home ground for fishing cats and smooth coated otters. Dugongs and dolphins are rare visitors of the Sanctuary moving from the sea-side. Significant population of foxes and Rhesus macaques have also inhabitant in the area. Olive Ridley turtles are also breeding in the Hope Island and thus the Sanctuary provides vital sites in conservation of Sea Turtles (Olive Ridley). The Sanctuary is also an important habitat for the birds and more than 234 species of bird including black-headed gull (*Larus ridibundus*), common sand piper (*Tringa hypoleucas*), red shank (*Tringa totanus*), little egret (*Egretta garzetta*), cattle egret (*Bablcus ibis*), grey heron (*Ardea cinerea*), western reef heron (*Egretta gularis*), open billed stork (*Anastomus oscitans*), pied kingfisher (*Ceryle rudis*), black capped kingfisher (*Halcyon pileata*) and small blue kingfisher (*Alcedo atthis*), etc., are found in the Sanctuary. Hence, there is a need of Eco-sensitive Zone around the Coringa Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, considering the future development needs of Kakinada city, present activities of Kakinada port and the primary livelihood activity (i.e. fishing) for the villagers settling around the Sanctuary, it was decided that, width of Eco-sensitive Zone towards eastern side (i.e., sea-side) 500 meters to 5 kilometers excluding present port limits, 50 meters towards northern boundary, upto 11.5 kilometers towards southern side and restricted to 50 meters from the boundary line of Coringa Wildlife Sanctuary towards western side (i.e. Kakinda city) has to be declared for the safety of the wild animals including fishing cat, otters and especially olive Ridley turtles, and also variety of birds;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Coringa Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 50 meters to 11.5 kilometres around the boundary of Coringa Wildlife Sanctuary, in East Godavari district in the State of Andhra Pradesh as the Coringa Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 50 meters to 11.5 kilometres around the boundary of Coringa Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 177.30 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Coringa Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**
 - (3) The maps of the Coringa Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
 - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Coringa Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.
 - (5) No villages are falling in the Eco-sensitive Zone of Coringa Wildlife Sanctuary.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Andhra Pradesh State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government**.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning

Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and

Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
 - Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, ecoeducation and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste.— Bio-medical waste management shall be as under:-
 - (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- **4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the

22

Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	TABLE Description			
(1)	(2)	(3)			
	A. Prohibited Activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco- sensitive Zone;			
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.			
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:			
		Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.			
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.			
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.			
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.			
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.			
	B. Regu	llated Activities			
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:			
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.			
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the			

		protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or	The discharge of treated waste water or effluents shall be

[PART II—SEC. 3(ii)]

	effluents in natural water bodies or land area.	avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.		
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.		
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.		
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.		
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.		
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.		
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.		
28.	Open well, borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.		
29.	Use of explosives for developmental activities.	Regulated as per the applicable laws.		
30.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.		
31.	Fishing.	Regulated as per the applicable laws.		
	C. Promoted Activities			
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.		
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.		
38.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.		
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.		
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.		
41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.		
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.		

5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, under subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, East Godavari District, Kakinada	Chairman, ex officio;
(ii)	Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Rajamahendravaram	Member;
(iii)	Environmental Engineer, Kakinada Andhra Pradesh State Pollution Control Board	Member;
(iv)	Municipal Commissioner, Kakinada	Member;

24

(v)	A representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;		
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government Membe			
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;		
(viii)	Director of Ports, Kakinada Port, Kakinada	Member;		
(ix)	General Manager, DIC, Kakinada	Member;		
(x)	Deputy Director, Fisheries, Kakinada	Member;		
(xi)	District Tourism Officer, East Godavari District, Kakinada	Member;		
(xii)	Joint Director, Agriculture, East Godavari District, Kakinada	Member;		
(xiii)	District Wildlife Warden, East Godavari or District Forest Officer (T), Kakinada, East Godavari District	Member-Secretary.		

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure IV.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7. Additional measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8. Orders of Supreme Court, etc.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/41/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF CORINGA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE ANDHRA PRADESH

E1 to E2	Starting from a station no. (E1) with co-ordinates N 16.90691 and E 82.24326 denoted on map, the line starts 50 meters parallel to North West corner of the Coringa Extension Reserve Forest. Then the straight line runs in North Eastern direction 50 meters parallel to Coringa Wildlife Sanctaury boundary upto (E2) with co-ordinates N 16.98556 and E 82.32604 i.e., Northern tip of Hope Island		
E2 to E3	Then the line runs 450 mts North-Eastern direction from station no. (E2) above the northern tip of Hope Island upto station no. (E3) with co-ordinates N 16.98940 and E 82.32459		
E3 to E4	Then the line runs 500 mts Southern direction from station no.(E3) parallel to the coast line and along the Coringa Wildlife Sanctaury boundary upto station no. (E4) with co-ordinates N 16.93076 and E 82.36939 where port limit ends.		
E4 to E5	Then the straight line runs Easternly direction from station no.(E4) and reaches the 5 Km zone line running parallel to Coringa Wildlife Sanctaury boundary at station no.(E5) with co-ordinates N 16.93107 and E 82.40989.		
E5 to E6	Then the line runs from station no.(E5) 5 kms away parallel to Coringa Wildlife Sanctaury boundary upto station no. (E6) on Eastern side of Masanitippa R.F with co-ordinates N 16.67391 and E 82.32109		
E6 to E7	Then the line runs South Western direction from station no.(E6) along the Eastern boundary of compartment no. 664 and 665 of Masanithippa RF upto station no. (E7) with co-ordinates N 16.61994 and E 82.29491.		
E7 to E8	Then the line runs North Western direction from station no.(E7) along the Western boundary of compartment no.665 of Masanithippa R.F upto station no. (E8) with co-ordinates N 16.63860 and E 82.28510.		
E8 to E9	Then the line runs from station no.(E8) in South Western direction along the southern boundary of compartment no. 666 of Matlatippa RF upto station no. (E9) with co-ordinates N 16.63550 and E 82.27800.		
E9 to E10	Then the line runs from station no.(E9) in North Western direction along the South-Western boundary of compartment no 666 of Matlatippa R.F upto station (E10) with co-ordinates N 16.63840 and E82.27380.		
E10 to E11	Then the line runs from station no.(E10) towards Northern direction along the Western boundary of compartment no.666 upto station no.(E11) with co-ordinates N 16.66480 and E 82.27680		
E11 to E12	Then the line runs from station no. (E11) towards Eastern direction along the Northern boundary of compartment No.666 upto station no.(E12) with co-ordinates N 16.65846 and E 82.29923.		
E12 to E13	Then the line runs from station no. (E12) along the Western boundary of compartment nos. 670, 667 and 668 in Rathikalva RF and touches the station no. (E13) with co- ordinates N 16.73181 and E 82.31439.		
E13 to E14	Then the line runs from station no. (E13) in North Easternly direction along the northern boundary of Nilarava river upto the point which is 50 mts parallel to Coringa Wildlife Sanctaury boundary at station no. (E14) with co-ordinates N 16.73239 and E 82.32416		
E13 to E1	Then the line runs from station no.(E14) 50 meters parallel all along the Western boundary of Coringa Wildlife Sanctaury upto station no.(E1) with co-ordinates N 16.90691 and E 82.24326 where the traverse is closed.		


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CORINGA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CORINGA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CORINGA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Code	Latitude (N)	Longitude (E)
1	S1	16.90682	82.24370
2	S2	16.98520	82.32632
3	S3	16.77875	82.35087
4	S4	16.77860	82.34753
5	S5	16.71688	82.34057
6	S6	16.71667	82.33368
7	S7	16.73192	82.33092
8	S8	16.78124	82.30166
9	S9	16.80041	82.25656
10	S10	16.82341	82.23609

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Code	Latitude (N)	Longitude (E)
1	E1	16.90691	82.24326
2	E2	16.98556	82.32604
3	E3	16.98940	82.32459
4	E4	16.93076	82.36939
5	E5	16.93107	82.40989
6	E6	16.67391	82.32109
7	E7	16.61994	82.29491
8	E8	16.63860	82.28510
9	E9	16.63550	82.27800
10	E10	16.63840	82.27380
11	E11	16.66480	82.27680
12	E12	16.65846	82.29923
13	E13	16.73181	82.31439
14	E14	16.73239	82.32416

ANNEXURE -IV

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

- 30
 - 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
 - 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
 - 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
 - 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
 - 8. Any other matter of importance.